92

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर।

प्रकरण कमांकः /2018 पुनरीक्षण निगरानी-3324/2018/ग्वालियर/भू.रा.

श्री प्रमोद कांकर अभि० द्वारा आज दि. 30-5-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-6-18 नियत।

प्रेसीडेंट ऑफ कोर्ट 30-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

छोटेलाल पुत्र स्व. श्री मनीराम श्रीवास,
निवासी– ग्राम बंधा पोस्ट उटीला,
तहसील– मुरार जिला ग्वालियर म.प्र.।

............पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

बनाम

1. मदन श्रीवास पुत्र श्री राजेन्द्र श्रीवास,
2. राजेन्द्र श्रीवास पुत्र श्री मनीराम श्रीवास, निवासीगण– ग्राम बंधा पोस्ट उटीला जिला ग्वालियर म.प्र. हाल निवासी–त्यागी नगर मुरार ग्वालियर

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति 01 से 12
पृष्ठ क्र.
दिनांक 25/5/18
हस्ताक्षर व नाम

3. म.प्र. शासन

..............प्रत्यर्थी/अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.03.2018 जो कि प्रकरण कमांकः 23/2016–17/अ–6 व उन्वान मदन बनाम मध्य प्रदेश शासन आदि में न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त उटीला तहसील मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित किया गया है।

माननीय महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक की ओर से पुनरीक्षण आवेदन–पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा रहा हैः–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3324/2018/ग्वालियर/भू.रा. [छोटेलाल / मदन]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.06.2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। नायब तहसीलदार, उटीला तहसील मुरार, जिला ग्वालियर के आदेश दिनांक 27.03.2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा अनावेदक के साक्षियों का प्रतिपरीक्षण नहीं करते हुए तारीख बढ़ाये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का प्रतिपरीक्षण का हक समाप्त करते हुए प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	